

ई- निविदा



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., जयपुर

प्रपत्र

अनुबन्ध / संविदा पर कार्मिक

उपलब्ध करवाने हेतु

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000 / -रु. (18% जी.एस.टी. अतिरिक्त)

ई-निविदा के जरिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि 16.10.2025 दोपहर 1.00 बजे तक, तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 16.10.2025 दोपहर 1.00 बजे तक।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., जयपुर

Tel:- 0141-2744910

E-Mail: rajfed_hrd@yahoo.com

राजस्थान में पंजीकृत मैन पावर एजेंसीयों के माध्यम से अनुबंध पर राजफेड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/पशुआहार फैक्ट्री/गैस शाखा, जयपुर पर विभिन्न कार्मिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता रहेगी। जिसकी उपलब्धता सफल निविदादाता फर्म को सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यकतानुसार कार्मिक की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।

नियोक्ता का नाम :- प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०, जयपुर।

1. बोली का विस्तृत विवरण :-

क्र.स.	मद	विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	2 करोड़
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	4,00,000 रु
3	बोली दस्तावेज शुल्क	1,180 रु(1000 + जीएसटी)
4	प्रोसेसिंग फीस (MD,RISL)	2,360 रु (2000 + 18 प्रतिशत जीएसटी)
5	कार्यावधि	एक वर्ष
6	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 01.10.2025 को सायं 4.00 बजे से दिनांक 16.10.2025 को प्रातः 11.30 तक
7	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	16.10.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
8	बिड प्रतिभूति राशि, बोली दस्तावेज शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस राजफेड में जमा कराने की तिथि	16.10.2025 को प्रातः 1.00 बजे तक
9	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	16.10.2025 को अपरान्ह 3.30 बजे तक
10	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	राजफेड मुख्यालय, जयपुर
11	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	28.10.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
12	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	अक्टूम्बर-2025
13	बोली की वैधता	तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 90 दिवस

1. फर्म का नाम.....
2. फर्म का पता.....दूरभाष संख्या.....
3. निविदादाता की फर्म पंजीकृत होना आवश्यक है एवं फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में 02 वर्ष का न्यूनतम कार्य का अनुभव/20 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है :- निम्न सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - i. पंजीयन संख्या.....
 - ii. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
 - iii. पेन नम्बर.....
 - iv. भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
 - v. ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
 - vi. कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र.....
 - vii. विगत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट
4. निविदा फार्म मूल्य रुपये 1180/- (रु.एक हजार एक सौ बीस मात्र) 18%th.(जी.एस.टी सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजफेड, जयपुर के पक्ष में देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक..... राशि.....
5. ई- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 2360/- (दो हजार तीन सौ साठ रु मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट एमडी, आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरण :- डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....राशि.....
6. अमानत राशि रुपये 4,00,000/- का ड्राफ्ट राजफेड, जयपुर के पक्ष देय होगा का विवरण :- डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....राशि.....
7. यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के जरिये ली जावेगी उक्त निविदा राज्य सरकार के पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in तथा राजफेड की वेबसाईट www.rajfed.org.com पर भी उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित समस्त वाछित जानकारी एवं प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। सम्बन्धित फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जावेगी तथा भौतिक रूप से ड्राफ्ट राजफेड मुख्यालय मानव संसाधन विकास शाखा पर दिनांक 16.10.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त तकनीकी ई-निविदाएं दिनांक 16.10.2025 को दोपहर 1.00 बजे खोली जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र में दर प्रस्ताव दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
9. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे लिखित में रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

10. सेवाएँ की मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/सहकारी पशुआहार/गैस शाखा, जयपुर पर आवश्यकता रहेगी। जिसकी उपलब्धता सफल निविदादाता फर्म का लिखित में सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यकतानुसार कार्मिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।
11. एजेन्सी के मार्फत विभिन्न कार्मिक सेवाएँ ली जावेंगी। जिनके संतोषजनक होने पर नियमानुसार कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
12. सेवाओं को राजकीय अवकाशों एवं कार्यालय समय के पश्चात भी आवश्यकता अनुसार कार्य करना होगा, इसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

13. भुगतान की शर्तें :-

1. प्रत्येक माह की समाप्ति पर भुगतान हेतु फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करना होगा।
2. फर्म को भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बैंक/आर.टी.जी.एस द्वारा किया जायेगा। यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
3. फर्म को किये जाने योग्य भुगतान से नियमानुसार वैधानिक कटौतियाँ (आयकर, टी. डी. एस इत्यादि) की जायेगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
4. यदि राजफेड दरों में संशोधन/परिवर्तन करती है तो संवेदक द्वारा उसकी पालना की जानी होगी।
5. भविष्य निधि, ई.एस.आई. एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य दायित्व जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी। जमा चालानों की प्रति अगले माह के देय भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के अभाव में अगले माह का भुगतान रोक दिया जावेगा एवं जीएसटी रिटर्न निर्धारित अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से राजफेड को प्रस्तुत करनी होगी।
6. कार्य सम्पादन के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. संवेदक को रजिस्ट्रार के परिपत्र क्रमांक:फा.15(32) सविरा/बैंक-2/आ.सो. परि/कमेटी/2015 दिनांक 16.06.2023, राजफेड कार्यालय आदेश मा.स.वि. /2023-24/1221-1238 दिनांक 31.07.2023 एवं शर्तों/न्यूनतम पारिश्रमिक की सीमा का अनिवार्यतः पालन किया जाना आवश्यक होगा।

8. विवाद होने पर प्रबंध संचालक, राजफेड, जयपुर का निर्णय मान्य होगा।
9. यह अनुबंध सेवा प्रदाता फर्म तथा राजफेड के मध्य होगा।
10. संवेदक के मार्फत ली गई कार्मिक सेवाओं को फर्म द्वारा प्रति माह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कार्मिक को सेवाओं के एवज में पारिश्रमिक चैक द्वारा/आर.टी.जी.एस. से भुगतान करना होगा। निविदा दर में सेवा कर के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर शामिल होंगे।
11. एजेन्सी द्वारा ऐसे कोई व्यक्ति राजफेड को उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गयी हो।
12. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक फर्म का कोई रिश्तेदार एवं व्यक्तिगत जानकार नहीं होना चाहिए।
13. किसी सेवाओं के संतोषजनक नहीं होने पर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सूचित करने के 07 दिवस में बदलना आवश्यक होगा। निर्देशों की पालना नहीं करने पर फर्म की सेवाएँ असंतोषप्रद मानते हुए उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध और शास्तियाँ बाध्यकारी होगी।
15. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. एजेन्सी द्वारा कार्मिकों की आवश्यकतानुसार पदों के अनुरूप योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
17. तकनीकी निविदा में कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन, जीएसटी पंजीयन, ईएसआई पंजीयन एवं श्रम विभाग का पंजीयन निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय वैध होना चाहिए।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार राजफेड का होगा।
19. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार(संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

निविदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.

4, Bhawani singh road, Jaipur-302001

ई-निविदा फार्म
(तकनीकी निविदा)

प्रबन्ध निदेशक,
राजफेड,
4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302001

विषय :- निविदा कार्मिक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु।

- i. मैं.....राजफेड द्वारा जारी निविदा के निर्देश, नियम व शर्तों से सहमत हूँ।
- ii. मैं निविदा में दी गई दरों पर निविदा अवधि में कार्मिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये सहमत हूँ।
- iii. धरोहर/अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या.....रुपये.....
(शब्दों में).....जमा करा दी गई है।
- iv. शर्तों के उल्लंघन पर राजफेड को मेरी धरोहर/अमानत जब्त करने का अधिकार होगा।
- v. मैं निविदा की मांग अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रेषित/अपलोड कर रहा हूँ।
- vi. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
- vii. सम्पर्क विवरण
 1. फर्म का नाम.....
 2. निविदा दाता का नाम.....
 3. पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर.....
 4. फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (श्रम विभाग/सहकारिता विभाग में पंजीयन संख्या)
.....
 5. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन संख्या.....
 6. आयकर रजिस्ट्रेशन/पैन नम्बर.....
 7. सेवा कर पंजीयन संख्या.....
 8. ई.एस.आई. पंजीयन संख्या.....

- viii. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेजों की Scanned copy अपलोड करवानी होगी जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम
1.	कर्मचारी भविष्य निधि/इएसआई संस्था रजिस्ट्रेशन
2.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन
3.	श्रम विभाग में पंजीकृत/कोआपरेटिव एक्ट में पंजीकृत
4.	पैन नम्बर
5.	निविदा दाता फर्म को न्यूनतम दो वर्ष का सरकारी/अर्धसरकारी/राजफेड/बोर्ड में कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा/ अनुबन्ध पर) उपलब्ध कराने कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6.	ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 500/- रूपयों के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध नहीं किया गया है। एवं इस प्रकार के किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।
7.	निविदा मुल्य एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. की स्केन कॉपी।
8.	धरोहर राशि डी.डी. नम्बर एवं डी.डी. की स्केन कॉपी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

नोट :-

1. यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र(अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करते हुये बोली में भाग ले सकेंगा।
2. सफल बोलीदाता को यह शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुये प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूत के रूप में जमा करवानी होगी।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.

4, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001

ई-निविदा फार्म
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम.....

फर्म का पता.....

मोबाईल नम्बर.....

मैं/हम..... निम्न वित्तीय बोली एवं शर्तों पर निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत है। निविदा की समस्त शर्तों से मैं/हम सहमत है।

क्रं. सं.	पद का नाम	न्यूनतम मजदूरी प्रति माह प्रति कार्मिक (रु.)	सेवाप्रदाता फर्म द्वारा भविष्य निधि अंशदान राशि 12%	संविदाकर्मी द्वारा भविष्य निधि अंशदान राशि 12%	सेवाप्रदाता फर्म द्वारा ई.एस.आई. अंशदान राशि 3.25 %	संविदाकर्मी द्वारा ई.एस. आई. अंशदान राशि 0.75 %	सर्विस चार्ज	Total Witho ut GST 3+8	GST 18% on colm .3	कुल योग (रु.) राजफेड द्वारा 9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखाधिकारी	33750	4050	4050	0.00	0.00				
2	प्रशा. अधिकारी	33750	4050	4050	0.00	0.00				
3	लेखाकार	28750	3450	3450	0.00	0.00				
4	कैमिस्ट/शीघ्र लिपिक वर्ग स्टेनॉ व समकक्ष पद	28750	3450	3450	0.00	0.00				
5	लिपिक/सैल्समैन/स्टोर कीपर/अन्य समकक्ष	22500	2700	2700	0.00	0.00				
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	22500	2700	2700	0.00	0.00				
7	वाहन चालक	18750	2250	2250	609.37	140.62				
8	हेल्पर/चौक्रेड कर्मचारी	15000	1800	1800	487.50	112.50				

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.

4, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001

NIB.NO.

दिनांक :

घोषणा पत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम-7 के अधीन, ई-बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में ई-बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारेवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत किया जा सकेगा तथा ई-बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

समस्त वैधानिक कटौतियों/अशंदान नियमानुसार निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय/राज्य सरकार में जमा कराने का दायित्व स्वीकार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील